दोनों पक्षों की बहस की सुनवाई हुई। प्रथम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पडोसी से चारदिवारी के कारण जनहित कुँआ का पानी का उपयोग नहीं किये जाने से संबंधी वाद के क्रम में मुद्दा प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया कि बिक्री केवाला जिसका संख्या–455/442, दिनांक–16.02.1996 के माध्यम से प्रथम पक्ष को उनके जमीन के पश्चिम दिशा में रास्ता एवं कुँआ का उपभोग हेतु दिया गया है जिसमें द्वितीय पक्ष उक्त रास्ता एवं कुँआ को अपने जमीन में मिला कर चारदिवारी कर गृह निर्माण कार्य कर रहे हैं। जिससे प्रथम पक्ष के उपभोग अधिकार का हनन हो रहा है।

द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया कि चारदिवारी वर्ष 2004 के पूर्व से है। जिस कारण प्रथम पक्ष के उपभोग अधिकार का हनन किसी भी प्रकार से नही हो रहा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त से संबंधी फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। फोटोग्राफ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चारदिवारी पुरानी है, जो प्रथम पक्ष के द्वारा मौखिक रूप से स्वीकार किया गया है कि चारदिवारी वर्ष 2004 से है। द्वितीय पक्ष के तरफ से यह प्रकाशित किया गया है कि इस प्रकार का वाद पूर्व में वर्ष 2004 में दायर किया गया था, इस न्यायालय द्वारा जिसकी सुनवाई द्वितीय पक्ष के पक्ष में की गयी थी।

दोनों पक्षों के लिखित बयानों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन एवं विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि उक्त कुँआ वर्ष 2004 के पूर्व से ही चारदिवारी के अन्दर है जिसकी पुष्टि प्रथम पक्ष के द्वारा भी मौखिक रूप से किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रथम पक्ष के उपभोग अधिकार का हनन नहीं किया जा रहा है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह वाद द्वितीय पक्ष के पक्ष में Vacate किया जाता है। यदि प्रथम पक्ष इससे आपत्ति करनी हो तो सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल करा सकते है।

अनुमण्डल पदाधिकारी
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर ।

अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

(U/s 147 Cr.P.C.)

वाद संख्या– 111/2020

श्रीमति कृष्णा देवी, पतिः–श्री रामनाथ साह निवासीः–पांडे ब्लॉक, वार्ड नं0– 22 (नया), पम्प रोड, चक्रधरपुर।	– बनाम –	1. हरी प्रसाद उर्फ कलर रवानी 2. श्रीमति शकुन्तला देवी 3. शशि रवानी, पिता–हरी प्रसाद 4. लता रवानी, पिता–हरी प्रसाद सभी का पता– पांडे ब्लॉक, वार्ड नं0–22(नया), पम्प रोड, चक्रधरपुर।

आदेश की तिथि	आदेश	अभ्युक्ति
	आवेदिका श्रीमति कृष्णा देवी, पति–श्री रामनाथ साह, निवासी–पांडे ब्लॉक, वार्ड नं0–22(नया), जिला–प० सिंहभूम द्वारा द्वितीय पक्ष 1. हरी प्रसाद उर्फ कलर रवानी 2. श्रीमति शकुन्तला देवी 3. शशि रवानी, पिता–हरी प्रसाद 4. लता रवानी, पिता–हरी प्रसाद, निवासी– पांडे ब्लॉक, चक्रधरपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध धारा–147 द0प्र0स0 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिया गया। जिसमें यह बताया गया कि प्रथम पक्ष को बिक्री केवाला जिसका संख्या–455/442, दिनांक–16.02.1996 के माध्यम से उनके जमीन के पश्चिम दिशा में रास्ता एवं कुँआ का उपभोग हेतु दिया गया है जिसमें द्वितीय पक्ष अपने जमीन में मिला कर गृह निर्माण कार्य कर रहे हैं। जिस कारण रास्ता एवं कुँआ को लेकर उभय पक्ष के मध्य हमेशा लड़ाई–झगड़ा एवं धमकी के कारण प्रथम पक्ष के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के न्यायालय में धारा 147 द0प्र0स0 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की गई।	

विवादित रास्ता एवं कुँआ का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
[illegible]	68	298	34 (अंश)	48×4 (192 वर्गफीट)	उ0–इजमाइली नाली द0–मुनसिपल रोड पू0–प्रथम पक्ष प0–द्वितीय पक्ष

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.03.03 12:57:33 +05:30
Location: 192.168.248.135